



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : bsea.bihar.gov.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 16/03/2021

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा/नि० 1-07/2021610..... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित 157 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, जिनके निर्वाचन देय हैं या जो अधिक्रमित/ विघटित हैं, या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न अनुलग्नक-3 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 17.04.2021 (शनिवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 443 दिनांक 22.02.2021 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.01.2021 निर्धारित की गई है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.03.2021 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा जाना है।

4. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-

- i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
- iii) उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र- ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 19.03.2021 (शुक्रवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र- ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र- ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फ़ैक्स (0162-2231562) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट- <http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।

ii.	संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	मतदान के तुरंत पश्चात् अथवा दो दिनों के अंदर	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18 से संबंधित), को प्रविष्ट करना एवं तदोपरांत डाउनलोड Pdf का Black and White mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के तुरंत पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

8. प्रपत्र ई0-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

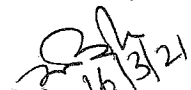
9. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

10. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में अतिरिक्त मतदान केन्द्रों का निर्धारण तुरन्त कर लेना है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अतिरिक्त बनाए गए मतदान केन्द्रों के लिए समिति को कोई अतिरिक्त निर्वाचन शुल्क नहीं देना होगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है।

11. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 19.03.2021 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 19.03.2021 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

12. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाइजर/ साबुन पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाइजेशन/ साबुन पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।


(गिरीश शर्कर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 610 पटना/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

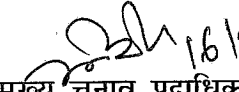

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 610 पटना/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

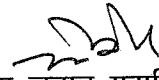
3. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक-8933 दिनांक-15.06.2012 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। विहित प्रपत्रों की प्रति सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उपलब्ध है।

 16/3/21
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 610 पटना/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कम्पेड, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गया डेयरी, कटारी हिल रोड, गया- 823001/ प्रबंध निदेशक, कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गौरवगढ़, वार्ड नं०- 4, किशनपुर रोड, पोस्ट- सुपौल, जिला- सुपौल, पिन नं०- 852131/ प्रबंध निदेशक, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर डेयरी, पो०- कोल्हुआ पैगम्बरपुर, मुजफ्फरपुर-843108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे दुग्ध समिति की उपविधियाँ दिनांक 18.03.2021 (गुरुवार) तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 610 पटना/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

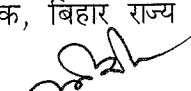
ज्ञापांक : 610 पटना/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 610 पटना/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

निर्वाचन हेतु प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र0	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहयोग समिति का नाम	सम्बद्ध संघ
1	2	3	4	5
1	गया	गुरुआ	उसेवा	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
2	गया	बांकेबाजार	खजुरिया	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
3	गया	बोधगया	सबलपुर	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
4	गया	बेलागंज	मेन	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
5	गया	कोंच	सिंघड़ा	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
6	औरंगाबाद	गोह	हरिगँव	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
7	औरंगाबाद	गोह	हसामपुर	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
8	औरंगाबाद	गोह	गम्हारी	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
9	जहानाबाद	मोदनगंज	बड़की अकौना	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
10	जहानाबाद	हुलासगंज	विरा	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
11	अरवल	कुर्था	खैराबाजार	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
12	अरवल	करपी	रामपुरचाय	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गया
13	मुजफ्फरपुर	बोचहॉ	नरमा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
14	मुजफ्फरपुर	बोचहॉ	नरमा पूर्वी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
15	मुजफ्फरपुर	बोचहॉ	चौमुख	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
16	मुजफ्फरपुर	औराई	मटिहानी महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
17	मुजफ्फरपुर	औराई	शाहीजीवर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
18	मुजफ्फरपुर	औराई	गोपालपुर चन्दवारा महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
19	मुजफ्फरपुर	औराई	चंदन	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
20	मुजफ्फरपुर	औराई	महिसौथा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
21	मुजफ्फरपुर	औराई	धसना	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
22	मुजफ्फरपुर	औराई	देवकुली	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
23	मुजफ्फरपुर	औराई	भलुराडीह	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
24	मुजफ्फरपुर	औराई	बसुआ महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
25	मुजफ्फरपुर	सकरा	गोपालपुर खुर्द	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
26	मुजफ्फरपुर	सकरा	रसुलपुर मनियारी महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
27	मुजफ्फरपुर	सकरा	मझौलिया महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
28	मुजफ्फरपुर	सकरा	सुन्दरपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
29	मुजफ्फरपुर	सकरा	भंगहा बरियारपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
30	मुजफ्फरपुर	सकरा	धर्मपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
31	मुजफ्फरपुर	सकरा	सुन्दरम्	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
32	मुजफ्फरपुर	सकरा	गनियारी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
33	मुजफ्फरपुर	सकरा	प्रतिराजपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
34	मुजफ्फरपुर	सकरा	छपड़ा बहोर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
35	मुजफ्फरपुर	सकरा	गोपालपुर राजाराम	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
36	मुजफ्फरपुर	सकरा	कटेश्वर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
37	मुजफ्फरपुर	सकरा	सकरा फरीदपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
38	मुजफ्फरपुर	सकरा	हरिपुर कृष्णा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
39	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	जलालपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहयोग समिति का नाम	सम्बद्ध संघ
1	2	3	4	5
40	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	श्रीकृष्णा महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
41	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	बैकुटपुर महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
42	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	माखन	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
43	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	सलहा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
44	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	वासुदेव	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
45	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	भगवानपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
46	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	दयालपुर केशोपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
47	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	बंगरा बंशीधर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
48	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	चक्रभट्टी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
49	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	लक्ष्मी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
50	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	सत्यम	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
51	मुजफ्फरपुर	मुरौल	तितरा आशानंद	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
52	मुजफ्फरपुर	मुरौल	मीरापुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
53	मुजफ्फरपुर	मुरौल	विशनपुर बखरी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
54	मुजफ्फरपुर	मुरौल	हसनपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
55	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	मुन्नी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
56	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	रत्ननिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
57	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	मतलपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
58	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	मेघरतवारा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
59	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	रामपुर दयाल महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
60	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	बैंगरा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
61	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	चाँदपुरा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
62	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	ओमशांति	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
63	मुजफ्फरपुर	बान्द्रा	सर्वोदय	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
64	मुजफ्फरपुर	मड़वन	बड़कागाँव	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
65	मुजफ्फरपुर	सरैया	गहिलोपूर्वी महिला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
66	मुजफ्फरपुर	कटरा	चन्दौली	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
67	मुजफ्फरपुर	कटरा	सैदपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
68	मुजफ्फरपुर	कटरा	विसौथा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
69	मुजफ्फरपुर	कटरा	शिवदासपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
70	मुजफ्फरपुर	कटरा	राजाडीह	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
71	मुजफ्फरपुर	कटरा	सोनपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
72	मुजफ्फरपुर	गायघाट	हरिपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
73	मुजफ्फरपुर	गायघाट	पिरौछा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
74	मुजफ्फरपुर	गायघाट	चाँदपुरा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
75	मुजफ्फरपुर	गायघाट	करमथु	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
76	मुजफ्फरपुर	गायघाट	जारंग गटोली	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
77	मुजफ्फरपुर	गायघाट	जमालपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
78	मुजफ्फरपुर	गायघाट	धबौली पियर बेला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
79	मुजफ्फरपुर	गायघाट	बाघाखाल	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
80	मुजफ्फरपुर	गायघाट	शिखा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
81	मुजफ्फरपुर	गायघाट	मलिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहयोग समिति का नाम	सम्बद्ध संघ
1	2	3	4	5
82	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	हरशेर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
83	मुजफ्फरपुर	काँटी	जोलगामा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
84	मुजफ्फरपुर	काँटी	मधुकर छपड़ा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
85	मुजफ्फरपुर	काँटी	मैसाहा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
86	मुजफ्फरपुर	काँटी	बहुआरा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
87	मुजफ्फरपुर	काँटी	भेड़ियाही सलोना	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
88	मुजफ्फरपुर	काँटी	वृजलाल	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
89	मुजफ्फरपुर	पारु	कमलपुरा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
90	मुजफ्फरपुर	पारु	छाप	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
91	मुजफ्फरपुर	पारु	रूपनारायणपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
92	मुजफ्फरपुर	साहेबगंज	माधोपुर हजारी पूर्वी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
93	मुजफ्फरपुर	साहेबगंज	हुस्सेपुर रत्ती	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
94	पूर्वी चम्पारण	मेहसी	वृत्तकुआमा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
95	पूर्वी चम्पारण	चिरैया	बेला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
96	पूर्वी चम्पारण	चिरैया	बाबूटोला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
97	पूर्वी चम्पारण	ढाका	खरुआ	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
98	पूर्वी चम्पारण	ढाका	परसा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
99	पूर्वी चम्पारण	ढाका	मुशहरिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
100	पूर्वी चम्पारण	ढाका	ओरैया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
101	पूर्वी चम्पारण	छौड़ादानो	भतनहिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
102	पूर्वी चम्पारण	छौड़ादानो	लोहड़िया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
103	पूर्वी चम्पारण	आदापुर	पंचपोखरिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
104	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	श्रीपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
105	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	बरवाखुर्द	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
106	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	चम्पापुर खास	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
107	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	घुघुआ	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
108	पूर्वी चम्पारण	हरसिद्धि	पिपरा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
109	पूर्वी चम्पारण	बनकटवा	पिपरा जितपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
110	पूर्वी चम्पारण	बनकटवा	बेला जितपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
111	पूर्वी चम्पारण	बनकटवा	गोला पकड़िया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
112	पूर्वी चम्पारण	बनकटवा	सुन्दरपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
113	पूर्वी चम्पारण	पताही	गोनाही पूर्वी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
114	पश्चिमी चम्पारण	नौतन	बहुअरवा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
115	पश्चिमी चम्पारण	नौतन	शिवराही मठिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
116	शिवहर	तरियानी	कोल्सो मोतनाजे	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
117	शिवहर	तरियानी	राधाकृष्ण	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
118	शिवहर	तरियानी	पचड़ा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
119	शिवहर	तरियानी	हिरौता	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
120	शिवहर	पिपराही	देकुली धर्मपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
121	शिवहर	शिवहर	विशुनपुर किशुनदेव	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
122	शिवहर	डुमरी कटसरी	जहाँगीरपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
123	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	रायपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहयोग समिति का नाम	सम्बद्ध संघ
1	2	3	4	5
124	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	बागमती	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
125	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	रूपौली	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
126	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	शिवम्	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
127	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	महादेव	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
128	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	शम्भुनगर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
129	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	बेलाही निलकण्ठ	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
130	सीतामढ़ी	डुमरा	लगमा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
131	सीतामढ़ी	बेलसण्ड	भटौलिया पताही	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
132	सीतामढ़ी	परसौनी	अण्डहारा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
133	सीतामढ़ी	परसौनी	हीरा कन्हौली	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
134	सीतामढ़ी	बथनाहा	बसविट्टी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
135	सीतामढ़ी	बथनाहा	छौरहिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
136	सीतामढ़ी	बथनाहा	गोवर्धनपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
137	सीतामढ़ी	बथनाहा	हरिबेला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
138	सीतामढ़ी	मेजरगंज	डंगराहा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
139	सीतामढ़ी	सोनवरसा	करहरवा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
140	सीतामढ़ी	नानपुर	कोयली	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
141	सीतामढ़ी	नानपुर	रायपुर कौरिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
142	सीतामढ़ी	नानपुर	हसनपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
143	सीतामढ़ी	सुष्पी	सोनउल खान	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
144	गोपालगंज	पंचदेवरी	नटवा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
145	गोपालगंज	पंचदेवरी	भगवानपुर	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
146	गोपालगंज	पंचदेवरी	सेमरिया	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
147	गोपालगंज	फुलवरिया	सोनगढ़वा	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
148	गोपालगंज	फुलवरिया	मदरवानी	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
149	गोपालगंज	फुलवरिया	रामपुर कला	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
150	सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	घोघसम	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
151	सहरसा	सौरबाजार	अजगैबा	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
152	सहरसा	सौरबाजार	पदमपुरा	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
153	सहरसा	सौरबाजार	अन्दौली	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
154	सहरसा	सौरबाजार	भगवानपुर	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
155	सहरसा	कहरा	बरियाही	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
156	सहरसा	सलखुआ	महादेव मठ	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
157	सहरसा	सलखुआ	गोरियारी	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल

प्रपत्र- ई-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंडके अन्तर्गत.....(समिति का नाम)
के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2
अध्यक्ष	01 पद (अनारक्षित)
सदस्य	12 पद
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• अति पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• सामान्य वर्ग	06 पद, जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित

(ii) अध्यक्ष के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....(स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को

.....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी
एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तक
(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 06:30
बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांककोबजे से(स्थान का नाम) में
की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हों, उसे काट दें।

निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	19.03.2021 (शुक्रवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	03.04.2021 (शनिवार) एवं 05.04.2021 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	06.04.2021 (मंगलवार) एवं 07.04.2021 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	09.04.2021 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	17.04.2021 (शनिवार) 6:30 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	17.04.2021 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनेटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनेटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोजेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनेटाईजर से सेनेटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनेटाईजर से पुनः सेनेटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यू पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।

—0—